@shahjahanpurpol

प्रेस नोटः सराहनीय कार्य जनपद शाहजहाँपुर दिनांक 24.09.21

थाना मिर्जापुर को मिली बडी कामयाबी,

24 घण्टे के अन्दर रंगदारी माँगने व धमकी देने वाले अभियुक्त अंकित को किया गिरफ्तार ।

श्री एस. आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहापुर के निर्देशानुसार जनपद मे आपराध की रोकथाम व अपराघधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण एवं श्री अरविन्द कुमार, क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के निर्देशन मे थाना मिर्जापुर पुलिस को बडी सफल ता मिली।

दिनांक 23.09.2021 को वादी प्रिन्स पुत्र जितेन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम बहरिया थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहापुर द्वारा रंगदारी मागने के सम्बन्ध मे सूचना दी थी जिस पर तहरीर के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 326/2021 धारा 386/506 भादवि पंजीकृत किया गया। घटना को गम्भीरता से लेते हुये श्री एस. आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर द्वारा शीघ्र अनावरण कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये।

इसी क्रम मे आज दिनांक 24.09.2021 को श्री मानबहादुर सिंह, थानाध्यक्ष मिर्जापुर के नेतृत्व मे थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त अंकित को समय करीब 08.30 बजे जरीयनपुर तिराहा से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध मे विधिक कार्यवाही करते हिये अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. अंकित पुत्र बलराम सिंह राजपूत निवासी ग्राम बहरिया रोड़ कस्बा व थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 386/21 धारा 386/506 भादवि थाना मिर्जापुर जिला शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

1. उ0नि0 यतेन्द्रपाल सिंह
2. हे0का0 347 विनय कुमार शुक्ला
3. का0 2246 सोनू सिंह
4. रि0का0 मोहित